

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

शिव प्रसाद राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 (बुडको)।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।
नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत।
कार्यपालक अभियंता,
सभी जिला शहरी विकास अभिकरण।

पटना, दिनांक-26/9/17

विषय:-

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के राज्यव्यापी अभियान के शुभारंभ दिवस 2 अक्टूबर, 2017 को विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन करने के संबंध में।

प्रसंग:-

महिला विकास निगम, बिहार, पटना का पत्रांक-1001/2017 दिनांक-25.09.17

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में कहना है कि बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के विषय के प्रति जन सामान्य की सोच में बदलाव लाने के उद्देश्य से दिनांक-02.10.2017 को राज्य व्यापी अभियान का शुभारंभ किया जाना निर्धारित है, जिसमें व्यापक स्तर पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा।

राज्य व्यापी इस अभियान तथा शपथ ग्रहण का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना निर्धारित है।


अतः अनुरोध है कि इस अभियान में भागीदारी के लिए दिनांक-02.10.2017 को अपने कार्यालय आदि में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का शपथ ग्रहण कराना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त तिथि को शपथ ग्रहण करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन संध्या 4.00 बजे तक महिला विकास निगम कार्यालय के ई-मेल आईडी0 (support@wcdbihar.org.in) पर उपलब्ध कराते हुए विभाग को सूचित किया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0 - यथोक्त।

विश्वासभाजन,


28.9.17

सरकार के अवर सचिव।



Women Development Corporation, Bihar

(Department of Social Welfare, GoB)



Dr. N. Vijaya Lakshmi
I.A.S.
Managing Director

Ref. No.: 1001/2017-1

Date: 25/09/2017

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार


विषय:- बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के राज्यव्यापी अभियान के शुभारंभ दिवस 2 अक्टूबर 2017 को विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2017 से माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों से किया जाना है। राज्य में इन दोनों मुद्दों के प्रति जन सामान्य की सोच में बदलाव लाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2017 को व्यापक स्तर पर शपथ ग्रहण का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा। साथ ही सभी कार्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, थानों एवं पुलिस लाईनों, पंचायतों आदि में शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि 2 अक्टूबर 2017 को अपने विभाग, अधीनस्थ निदेशालयों/सोसाईटी आदि में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का शपथ ग्रहण करवाने की कृपा की जाए। शपथ ग्रहण की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। अनुरोध है कि शपथ ग्रहण करवाते हुए 2 अक्टूबर 2017 के संध्या 4.00 बजे तक शपथ ग्रहण करने वाले कर्मियों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन निगम कार्यालय के ई-मेल आई.डी (support@wdcbihar.org.in) पर उपलब्ध करवाने की भी कृपा की जाए। शपथ ग्रहण की प्रति निगम के वेबसाइट www.wdcbihar.org.in पर भी उपलब्ध है।

विश्वासभाजन


(डॉ. एन. विजयलक्ष्मी)
प्रबंध निदेशक



बाल विवाह मुक्त
हमारा
बिहार

आइये बिहार को

बाल विवाह एवं दहेज मुक्त राज्य बनाने के लिए
हम सब मिलकर शपथ लें!



शपथ-पत्र

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक संकल्प लेता/लेती हूँ कि,

✓ 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं

✓ 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के

का विवाह नहीं करूँगा/करूँगी। मैं ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होऊँगा/होऊँगी, जहाँ बाल विवाह किया जा रहा हो या दहेज का लेन-देन हुआ हो।

कम उम्र की शादी और दहेज का लेन-देन एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है, अतः मैं प्रण करता/करती हूँ कि इनकी रोकथाम के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा/करूँगी।

मैं अपने राज्य को बाल विवाह और दहेज मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ।

शपथ दिलाने वाले नेतृत्वकर्ता का हस्ताक्षर



जनहित में प्रकाशित

महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

दूसरी मंजिल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, बेली रोड, पटना-800 001 (बिहार), दूरभाष : 0612-2547483, वेबसाइट : www.wdcbihar.org.in

